the minimum wages for the agricultural worker. Therefore, the West Bengal Government is right and they have done perfectly the right thing to take into account the minimum wages statutorily fixed for the agricultural workers in the matter of calculating the cost of production. I would also suggest that even at this late stage the Government of India should start a dialogue with the Agricultural Ministers of six jute-growing States to find out the ways and means as to how the JCI operations can be further extended and the benefits can be given to the growers.

It has been admitted by the hon. Minister that the Calcutta price is not simultaneously announced. Why? I have no time to explain in detail. One of the allegations against the Agricultural Prices Commission it, as has been made by the PUC, that they deliberately do not announce the Calcutta price and the up-country price simultaneously. The object is to allow the middle-men, the tycoons and the barons to depress the price in the upcountry markets. This time also, the Government have not taken any lesson from it. The minimum prices for the up-country markets have been declared earlier. Only today, they have declared the minimum price in the Calcutta market. Why is this practice being indulged in? It is only to allow and barons and the tycoons to dampen the prices of raw jute in the upcountry markets. I think, the Government should take note of it. There should be simultaneous announcement of the Calcutta price as well as of the upcountry market prices.

Lastly, I would say hat the question of the minimum price of jute should be *de novo*, discussed and we should not rely on the recommendations of the APC alone. This is a very important aspect of the problem. Therefore, instead of relying on the recommendations of the APC against whom I have made certain allegations and the PUC has also made certain allegations, I would suggest that the very question of fixing the minimum statutory price of raw jute should be discussed de *nove* and that it should not be fixed only on the basis of the recommendations of the APC. It should be decided upon after consulting the jute growers, the respective State unions and the industrialists also. I Government, the concerned trade think, the hon. Minister would take note of it and see how far this question could be solved with the satisfaction of all the interests concerned.

MR. CHAIRMAN: There is Amendment No. I which was moved by Shri Vinayak Prasad Yadav. He is not here. Though in his speech, he said that he was not pressing for it. I have to put it to the vote of the House.

Now, I put the Amendment to the the vote of the House.

Amendment No. *I was put and negatived.*

MR. CHAIRMTN: Now, I put the main motion of Shri Chitta Basu to the vote of the House.

SHRI CHITTA BASU: I do not like to take a vote on it. I want to withdraw it.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to allow Shri Chitta Basu to withdraw the Motion?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

The Motion was, by leave, withdrawn.

20.20 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

BUNGLING IN EXPORT OF READY MADE GARMENTS

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : (मंदसौर) सभापति महोदय, सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात में असावधानी के कारण, प्रशासनिक शक्तियों के कारण जिस प्रकार से भारी घाटा होने की घोर संभावना हो गई है, तथा भारी घाटा हो भी रहा है, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं कि सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

में जो लोग किसी न किसी प्रकार से कोटा प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जिन्होंने इस का दुरुपयोग किया है, बाजारों में प्राप्त कोटे को ऊंचे दामों पर बेचा है, उन के बारे में जब प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि वे इस के बारे में जांच करेंगे और जो लोग दोषी पाये जायगे उन को डीरजिस्टर्ड किया जाएगा, उनके नाम काली सूची में दर्ज किये जायेंगे लेकिन दुख इस बात का है कि अब उन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। अपितु उन्हीं लोगों को, जिनका कि नाम काली सूची में दर्ज होना चाहिये था, उन्हें ही फिर से दस प्रतिशत कोटे की छूट का लाभ क्यों दिया गया, पुनः क्यों कोटा दिया गया ? जिन्होंने रेडी गुड्स शिपमेंट की स्कीम के समय निश्चित माल भेजने के आधार पर कोटा मांगा था, किन्तु उन्होंने माल नहीं भेजा, ऐसे डिफाल्टर्स को गलत छूट दे कर लाभान्वित किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कहीं न कहीं त्रुटि विद्यमान है जिसको कि निकालना आवश्यक है। यह केवल साधारण प्रशासकीय त्रुटि नहीं है, असावधानी वाला मामला ही नहीं है। इसमें कई अधिकारी शरीक हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें काफी लोग लगे हैं जो हैंडलूम के काम करते हैं, या कुछ पावरलूम पर भी काम करने वाले हैं, उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई है। लाखों लोगों का व्यवसाय इस के द्वारा चल रहा है, जिनकी जीविका, भरण-पोषण इस से चलता है। इस उद्योग के जरिए हमें विदेशी मार्किट, या अच्छा विदेशी बाजार प्राप्त हुआ है, आज हम उस विदेशी बाजार को भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं।

मैं आपका ध्यान दो-तीन दिन पूर्व ही प्रकाशित इकोनोमिक टाइम में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में इस समाचार को सही बताया गया है

"The alleged maladministration in the Textile Export Promotion Council's export quota distribution scheme may deprive India of business worth over Rs. 50 crores during the current year and expose the trade to the possibility of losing the American market in a big way."

इसी समाचार में आगे चल कर उन्होंने मिस्टर लेरी के रेफरेंस से कहा है—

"He said that the total quota for men's shirts from handloom and powerloom sectors together was 9,19,315 dozens for the current year. But Indian exporters had despatched only 4.20 lakhs dozens by August 10. They would not be able to finish their quota before the end of December."

"He said that Indian authorities had 'misstamped"....

मैं आगे चल कर बताऊंगा कि किस प्रकार मिसस्टाम्प्ड किया है। लेकिन सारे मामले बहुत गंभीर हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा—

"....'misstamped' about 14 million square; yards of garments (about 7 million pieces) as powerloom although, in fact, the pieces were made from handloom cloth. India's quota in powerloom for U.S. markets, therefore, got exhausted soon. There was apparently no remedy to correct the situation arising out of this mistake."

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जो कि शिकायतों के बारे में है, आपने मेरे ही द्वारा पूछे गये 28 जुलाई के उत्तर में यह बात कही थी—

"A number of complaints has been received regarding irregularities committed by some exporters."

उत्तर में आगे चल कर के बात कही थी—

"The current quota year started from 1-1-78. The names of the ex-

porters who surrendered their quota during 1978 are given in the statement attached."

इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उनके उस उत्तर की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने दूसरे सदन में दिया था जिस में उन्होंने बताया था कि हम गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, उनको ब्लेकलिस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अब तक इस बारे में निश्चित कार्यवाही नहीं की गई। मैं इस बारे में एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ऐसे घोटालों के बारे में कई अन्य प्रश्न पूछे गये थे और माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं इसी सदन में श्री एल० एम० कपूर के प्रश्न का उत्तर दिया था—मैं उद्धृत कर रहा हूं—

"No, Sir.

"Because of wrong stamping of some handmade apparel as mill-made, certain difficulties had been created. Government have taken up the matter with the U.S. authorities, and a solution is being worked out."

मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस मामले में घोटाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसकी तरफ उनको निश्चय ही तुरन्त ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं कि इस सारे काम में पांच सात लाख से ऊपर लोग लगे हुए हैं। हजारों एक्सपोर्टर्स भी हैं वैसे केवल दिल्ली में ही जो एक्पोर्टर हैं उनकी संख्या दो हजार के ऊपर है और पूरे देश में तीन हजार एक्सपोर्टर हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने किसी प्रकार से गलत ढंग से या धोखा दे कर फिर से कोटा प्राप्त किया है जो गलतियां उन्होंने की हैं, गड़बड़ियां की हैं तथा उन्हीं कुछ लोगों के कारण हम जो मार्किट लूज करते जा रहे हैं, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। रेडीमेड गारमेंटस के एक्सपोर्ट हेतु वर्तमान में भी टावर सिस्टम आपका चल रहा है। इसके अन्तर्गत रेडीमेड गुडज स्कीम है और इस के अन्तर्गत आप माल भेजने के लिए कहते हैं। दूसरी स्कीम है हाई प्राइस रीयला-इजेशन और उसके अन्तर्गत भी आप भेजने की बात कहते हैं। तीसरी स्कीम कन्फर्म्ड कंट्रैक्ट स्कीम है जिस के अन्तर्गत भी आप भेजने के लिए कहते हैं। तीनों स्कीमें इस तरह से मिली जुली हुई हैं कि एक ही आदमी इन तीनों स्कीम्ज से फायदा उठा लेता है। होना यह चाहिए कि किसी एक स्कीम के तहत के व्यक्ति ही फायदा उठाए और दूसरी स्कीम के तहत दूसरा और तीसरी स्कीम के तहत तीसरा। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पर आप पुनर्विचार करें कि क्या इन तीनों के स्थान पर एक स्कीम लाई जा सकती है ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अन्यथा क्या होता ? इस बारे में ऊपर कह चुका हूं। कुछ एक्स-पोर्टर्स के गलत कामों की जांच भी हो रही है। एक एपेरेल कांउसिल बनाई है जिस को मैं स्वयंभू कांउसिल कहता हूं। इस में वही लोग आ गए हैं जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। स्वयंभू कमेटी मैं इसलिए भी कहता हूं कि इसमें नियम और विधान इस प्रकार के हैं और ऐसे लोगों को उस में बिठा दिया गया है जो दो लाख से कम का एक्सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। वे उस कमेटी के सदस्य नहीं बन सकते हैं जो दो लाख से कम का एक्सपोर्ट करते हैं। कांउसिल वाले कहते हैं वे वोट करना जानते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की कांउसिल बना करके छोटे एक्सपोर्टर्स को रोकना चाहते हैं। इस कांउसिल का जिस प्रकार से गठन किया गया है उससे साफ मालूम पड़ता है कि जो बड़े एक्सपोर्टर्स बाहर माल भेजते हैं उनका ही एकाधिकार इस पर स्थापित रहने देना चाहते हैं।

जिन्होंने गुडस फार रेडीशिपमेंट के आधार पर टैक्सटाइल कमेटी से सर्टिफिकेट प्राप्त करके एक्सपोर्ट कोटा लिया लेकिन

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

यह माल उनके पास नहीं था। इसका क्या परिणाम हुआ? पहले आ कर उन्होंने पांच हजार पीसिस का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। फिर से तीस लोगों और फिर पांच हजार पीसिस का सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया पुनः तीसरी बार भी यही किया। इस प्रकार से एक ही माल पर तीन तीन बार सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। एक ही व्यक्ति ने तीन तीन बार सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इस सारे मामले में कौन अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं जिन्होंने इस प्रकार की गलत कार्यवाही करके उन लोगों को रोका है जो वास्तव में एक्सपोर्ट करना चाहते थे इसका भी आपको पता लगाना चाहिए। बाजार में कुछ गलत काम करने वाले एक्सपोर्टर्स ने एक प्रकार से उन्होंने एलान किया कि आइये, खुले बाजार में हम आपका कोटा लेना चाहते हैं। इकोनोमिक टाइम्ज है 31–3–78 के अंक में निकला है:

मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"A flourishing blackmarket in export quotas has sprung up in the garments trade. Quota holders are charging a premium of Rs. 10,000 to Rs. 15,000 for a quota of 10,000 pieces. This ugly situation has arisen because some 20 to 25 exporters have managed to corner most of the export quotas meant for the January-June half year while most of the genuine exporters are burdened with ready to ship garments without any export quotas.

Many exporters are advertising in daily papers seeking quotas. Under the Import-Export Control Act of 1947 and the Export Control Order of 1977, a quota once allotted cannot be transferred or sold."

But they are advertised.

उनको कोटा चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था आपने उनको दस परसेंट की छूट के आधार पर जो ज्यादा की मात्रा में माल लिया और सभी मंडियों में ला कर कब्जा कर लिया और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए थी, सख्त कदम उनके खिलाफ उठाए जाने चाहिए थे।

कालाबाजारी की बात कहने की नहीं है। मैंने जुलाई में प्रश्न किया गया था। अब तक कालाबाजारी के कुछ तो परिणाम निकले होंगे। क्या कालाबाजारी करने वाले वही एक्सपोर्टर्स तो नहीं हैं जिन के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, जो एक्सपोर्ट करने के मामले में दोषी हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, गलत ढंग से कोटा उठाने का प्रयत्न किया है? क्या यही तो नहीं हैं जिन्होंने रेडी गुडस शिपमेंट पर कोटे प्राप्त किये व माल नहीं भेजा था। या जिन्होंने रेडी गुडस शिपमेंट का दुरुपयोग किया उन्हीं में से कुछ लोगों को ले कर आपने जांच कमेटी बना दी है? क्या यही लोग तो नहीं हैं जिन्होंने कोटा सरेंडर किया था और यही जांच का काम कर रहे हैं? जो दोषी नहीं थे और जो स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते थे उनसे आपको यह जांच करवानी चाहिए थी। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की जांच आप करवा रहे हैं! एक बात और है कुछ ऐसा भी सुनने में आया है और समाचार भी छपे हुए हैं कि टैक्सटाइल लोबी इतनी सबल है कि हैंडलूम या पावरलूम बाहर जा कर के अपना बाजार न बना पाये इसका बराबर प्रयास किया जाता है, और जो टैक्सटाइल गारमेंट बाहर भेज रहे हैं वह हैंडलूम या पावरलूम के कपड़े के नहीं हैं बल्कि मिल के कपड़े हैं लेकिन उनको हैंडलूम या पावरलूम के कपड़े के नाम से भेजते हैं जो कि नहीं भेजना चाहिए। इस कारण हैंडलूम और पावरलूम के लोग दुखी हो रहे हैं।

एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा आपने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल बना रखी है और आपने टैक्सटाइल प्रोमोशन काउन्सिल भी है। अब

दोनों संस्थायें अलग अलग हैं तो फिर क्या कारण है कि एक संस्था को कम महत्व दे कर के दूसरे के जरिए निर्यात सर्टिफिकेट प्राप्त करें या उनके जरिए निर्यात हों। आवश्यकता इस बात की है कि अब आपने हैंडलूम के लिए प्रोमोशन कांउसिल बना रखी है तो वही संस्थाएं यह सारा काम करे। मैं आश्वासन चाहूंगा हैंडलूम प्रोमोशन काउन्सिल को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, वह इसके बारे में वैधानिक रूप से सशक्त हो और ऐसे नियम बनें ताकि वह हैंडलूम प्रोमोशन के लिए प्रभावी काम कर सके। वर्तमान में जो आपने कपड़ा हैंडलूम के लिए निर्धारित कर रखा है वह 60 : 40 है। यानी 60 परसेंट हैंडलूम का है और 40 परसेंट दूसरा कपड़ा है। मैं चाहता हूं कि अगर आप हैंडलूम को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो दो तिहाई भाग हैंडलूम के अन्दर लाइयें ताकि छोटे छोटे बुनकर लोग, हथ करघा पर काम करने वाले लोग, लाखों लोग उनको हम सीधे सीधे रोटी रोजी दे सकें। हमने जो ई०ई०सी० और यू०एस०-ए० का बाजार लिया है या हमें जापान और आस्ट्रेलिया के मार्किट मिल रहे हैं उन पर हम तेजी से छा जायें अन्यथा जिस प्रकार की स्थिति मैंने आपको समाचार-पत्रों के जरिए बताई कि जिस प्रकार हमारे बारे में गलतफहमी पैदा हो रही है कि हम जिस जिस स्टाम्पिंग कर रहे हैं समय पर माल नहीं भेज रहे हैं उससे इस उद्योग को क्षति पहुंचेगी और लाखों लोगों में निराशा पैदा होगी, आप निर्यात हेतु यू०एस०ए० के लिए।

तीन प्रकार की सीलें हैं—एक एग्जेम्पटेड सील, एक राउन्ड सील और एक स्क्वायर सील होती है। किस माल पर किस प्रकार की सील लगानी चाहिए इस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। एग्जेम्पटेड सील न लगा कर के राउन्ड सील लगा रहे हैं और जितना कपड़ा हैंडलूम का जाना चाहिए वह नहीं जा पाता है, उसकी जगह पर दूसरे कपड़े का बना हुआ माल बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिसको हमारी मिलें बनाती हैं। मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि इसके बारे में जांच करेंगे, और यह भी कहा है जो भी अधिकारी इसके लिए दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही करने में वह कोई हिचक नहीं करेंगे। यह बात चूंकि कन्सल्टेटिव कमेटी में कही हुई है इसलिए विस्तार में उसको यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने जो हम लोगों को आश्वस्त किया था कि उनके बारे में कार्यवाही करेंगे, मैं चाहूंगा मंत्री जी इस मामले को गम्भीरता से लें। अन्यथा जिस प्रकार से इंजीनियरिंग गुडस का निर्यात घट रहा है उसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट का निर्यात भी घटेगा, जब कि उसका निर्यात हम काफी बढ़ा सकते हैं अगर सही तौर पर काम किया जाए। हमने 1980 तक 500 करोड़ रु० का एक्सपोर्ट का टारगेट फिक्स किया है, अभी वर्तमान में 250 करोड़ रु० का टारगेट है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार से लोगों को निराश करते रहे हैं और गलत लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहा तो जो लक्ष्य हमने तय किया है उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। यह सारा मामला लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। हजार रु० की मशीन लगा कर छोटा व्यक्ति अपना कपड़ा बाहर भेज सकता है। भिजवा सकता है। इसलिए इस मामले को आप गम्भीरता से लीजिए ताकि लाखों गरीब लोग जो इस धंधे में लगे हुए हैं उनकी रोजी रोटी चलती रहे और छोटे व्यापारी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वह इस काम को कर सकें और बड़े व्यापारियों के चंगुल में वह न फंसें। साथ ही जिन बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठ गांठ से घोटाला चल रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही हो, और आपकी जो प्रोब कमेटी है उसके बारे में आप आश्वस्त करेंगे कि आप उसे भंग कर रहे हैं तथा नई स्वतंत्र कमेटी जांच हेतु बना रहे हैं, इसके साथ जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं मैं चाहूंगा मंत्री जी उनके बारे में हमें आश्वस्त करें।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

कि वे सारे मामले की पूरी जांच करेंगे, दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे तो इस उद्योग के लिए हर सम्भव उदार सहायता करेंगे।

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): Mr. Chairman, Sir, it is a very important matter and I do share the anxiety of the hon'ble Member. Sir, the Textile Export Promotion Council used to look after both the fabrics and ready-made garments export. When it was complained that due justice is not being rendered to those who mainly export ready-made garments, Government took the decision and accordingly formed a different council for the garment manufacturers. We would very much like to have given this authority to the new council but as it has been very recently set-up, Government had to take the decision that for the current year the Textile Export Promotion Council should look after these exports. It is true that Textile Export Promotion Council has failed in its duty in the matter of stamping where wrong stamping was done. It has happened because of some mis-interpretation. As the House is aware United States of America have done away with any restrictions on the imports of handloom products including handloom garments. But so far as sensitive varieties are concerned, namely, shirts, ladies' blouses, skirts and all that, for them they have said that there will be a level for consultations. No sooner we export both—either the mill-made or the handloom products and if they reach certain number then naturally consultations have to be held. That level has been fixed according to the understanding between the Governments. It was because of that understanding it was felt that all these articles—whether mill made or handloom—should have one stamp. Because of this misinterpretation, the stamping was done. I must say it was wrong.

Again it has been brought to the notice of the House about those who have cornered the quota. As I have already said, this came to our notice in the month of March and we immediately started an enquiry. I was not satisfied with it. Therefore, I asked the then Commerce Secretary, Mr. Thapar, to go to Bombay to enquire into the matter. After the enquiry of Mr. Thapar certain immediate decisions were taken so that the quotas which were secured after great effort were utilised. As the House is aware, our quotas last year were virtually terminated at a particular level and, therefore, I persuaded both the Government of USA and also EEC countries not to have such unilateral restrictions against India as it will do a great harm—this being a labour-oriented industry. And it is because of our efforts that we secured better quotas as against earlier one. We had the new agreement on 1st January, 1978. The agreement which EEC countries is for four years and agreement with USA is for five years. So far as agreement with EEC countries is concerned, it can be extended by one year. Since we have been able to secure better quotas and if they are not utilised then in that case all our efforts would go waste. So, immediately we took certain decisions. Those who have not fulfilled the quotas cornered by them—of course, we have given them some latitude for difficulty in shipping and transport. There may not be adequate space available in the ship or there is some other difficulty. So, naturally some margin had to be given. It is not to show any favour that we did it. But there it can be practical problems so that we should not be that very harsh. Immediately, we also asked them to take action against those who have taken undue advantage of this whole pattern of exports. Here again, Sir, it is true that it is a bit complicated process. Our country is interested in having better unit-value. So, naturally, those who could secure orders for bet-

ter price, for higher price, were given certain priority. It varies from item to item. I need not go into these details but I am prepared to give all the information to the hon. Member.

Then, secondly, there are some who secured firm contracts. It has also great relevance. Instead of banking upon somewhere else, if they could secure firm contracts, that will be taken into account. We are also very much interested in the handloom products. Here again, we have to take certain care for adequate representation of handloom products. It is on this account that quota policy became a bit complicated no doubt. But, the House will please bear with me on this. We have exported handloom products. Again we would very much like to export in the interest of better foreign exchange and also to pay better wages to our workers here and therefore we should have better unit-value. That is the reason why this decision is taken and this sort of procedure has been adopted.

Here the question is: How it could be simplified? That is also being thought about. As the hon. Member rightly suggested, we have to see how the procedure could be simplified. But in case we say 'first come, first served' then, in that case, we may lose the unit-value and there we will suffer. Besides we shall have to take care of the handlooms also. So, some complication will be there. We have to give priority to our handloom products and we have to secure better unit-value. Bearing this in mind, we have to take care to see how we can take care of the whole quota that is secured. Now, the House will be happy to know that we have secured higher utilisation for ready-made garments.

By and large, both in respect of EEC countries and America, so far as the ready-made garments and particularly the sensitive varieties are concerned, not only we exhausted quotas for many categories, but we have to take some quota in latter part of the year and assist them to fulfil the demand. Where have we suffered? We have suffered not in the ready-made garments or particularly sensitive varieties. So far as the other varieties are concerned there is a provision in EEC agreement whereby a portion of quotas for some varieties could be transferred to others. One month earlier we have taken up the matter with the Governments concerned to allow us to transfer this variety which we could not export for lack of demand and that we should be allowed to export such articles for which there is a demand.

I am sure that in view of the spirit of the agreement the EEC will accept this proposal. Our officers are trying their best so that this sort of transfer of quotas of the ready-made garments could be adopted. So, there should be no problem.

But the real problem is with regard to the textiles fabric. Here we have suffered. I must take the House into confidence and say that it has happened because we are not that very competitive. Take countries like Korea, Hong Kong etc. There one man or women,—one worker,—operates more automatic looms than as we have in this country. And where one worker operates more looms, you can just imagine how much competitive they are! And therefore, it is here that we have suffered.

How best can we make our country more competitive is a problem in itself. For that we shall have to go into various aspects. It is very difficult to deal with this at this hour. We are trying our best to see whether we can export our handloom products and handloom textiles. That also we are trying. Not that this matter is done only at the official level; but even I have taken it up myself with the Ministers concerned. And even so far as the wrong stamping is concerned, I have discussed this with our Ambassador in America I have

[Shri Mohan Dharia]

written to Madam Krepps, the Secretary of State for Commerce of America and also Mr. Robert Rauss, the Adviser to the President, who is also of Ministerial rank; and we are considering all the relevant aspects, how it could be done. We are trying to see how we can export handloom articles and handloom products according to our desire. How it could be further simplified is also being thought of so that we may secure better quota from these countries in future.

One more point about the Enquiry Committee. It is really a matter of great concern for us. On the basis of our suggestion, it is true that they have constituted a committee for that enquiry. Until and unless that enquiry is complete, we cannot penalise anybody; it would be wrong. Till that time, we have allowed these parties to export. We could have stopped them, but we would have suffered both ways; we would have been deprived of taking advantage of securing those markets and simultaneously, there would be problem of unemployment immediately here. Unless that enquiry is complete and *prima facie* charge is there, it would be wrong to punish anybody. Therefore, we have not. But I have made it very clear to all Export Promotion Councils that so far allocation of quota is concerned, if anybody, right from the Chairman to any Member, is interested himself in the quota, he should not be in that kind of Committee. This is because, these are the Export Promotion Councils, where all the exporters themselves are involved. These are not the State or the Government bodies; Government does subsidise these to some extent, but these are the bodies of the textile or other exporters. Although these are their own bodies, but we have taken care, as far the allocation of quotas is concerned, that the interested persons should not be involved. That care is now taken.

So far as the Enquiry Committee is concerned, it is very much true that the present Enquiry Committee consists of the Chairman and others who are either interested in that quota..

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : 124 जो डिफ ल्टर्स हैं उन के खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिए । आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ।

SHRI MOHAN DHARIA: I am not defending anybody. Till the enquiry is completed, I am not going into that. But as I said, I have not taken action to stop the export, because that would have adversely affected us.

When it was brought to my notice that this Committee cannot enquire into the matter in a fair way, I have already instructed my officers that we cannot accept this enquiry and that there should be an absolutely impartial enquiry committee which should go into it and I have already assured the House earlier that we shall see that proper action is taken. Those who have tried to cheat the Government and taken any undue advantage, we shall see, that they are not only de-registered, but they will have no place as an export house or an exporting company.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो चर्चा उठी उस का जवाब दिया । मैं दो तीन बात उन से जानना चाहता हूं । हैंडलूम के बने वस्त्र और सिले सिलाए कपड़े अधिक मात्रा में विदेशों में सप्लाई हों उस के लिए छोटे लोगों को राहत देने का क्या कोई प्रोग्राम आप ने बनाया है ? यदि बनाया है तो वह क्या है ?

दूसरे, यह जो आप ने लाइसेंस देने की सीमा दो लाख रखी है क्या उसे घटा कर दस हजार या पांच हजार करेंगे ताकि छोटे छोटे लोग भी अपने कपड़े सीधे भेज सकें जिस से उन्हें रोजगार मिल सके ? इस के लिये क्या आप की कोई ऐसी योजना है ?

27 अगस्त के ऐकोनामिक टाइम्स में समाचार छपा है कि जो बड़े मिल वाले लोग हैं वे इतनी बुरी तरह हावी हैं हैंडलूम के ऊपर कि यह उद्योग देश के अन्दर समाप्त होता आ रहा है इसे रोकने के लिए आप ने कौन से कदम उठाए हैं।

दूसरी चीज, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अधिक से अधिक मात्रा में हम निर्यात कर सकें इस के लिए क्या संसार की मंडी में हम ने कोई स्थान बनाया है ? यदि बनाया है तो लगभग कितने करोड़ माल हम बाहर भेज सकते हैं।

जिन लोगों को लाइसेंस मिला है वे लोग प्राय: स्वयं माल तैयार नहीं करते, वे बिचौलिये हैं। छोटे छोटे लोगों से सिले-सिलाए कपड़े ले कर अपने नाम पर उसे भेजते हैं, बड़े बड़े कारखानों की मोहर उस पर लगाते हैं और उस का अधिकांश लाभ स्वयं लेते हैं, उन के पल्ले कुछ लाभ पड़ता नहीं है। तो सोसाइटियों को और छोटे छोटे लोगों को आप इस में प्रायरिटी दें, इस प्रकार की व्यवस्था करें।

जिन लोगों के खिलाफ आरोप थे, जिन्होंने लाइसेंस का दुरुपयोग किया है, उस की जांच की बात आपने कही और कहा कि जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इतना जानना चाहता हू कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन के माल को आप अपने मार्फत भेजें, उन के मार्फत न भेजें क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे ? जो दोषी हैं उनको आप काली सूची में रखें। कितने ही लोग इस देश में हैं जो सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात करते हैं तो क्या यह सत्य है कि हैंडलूम का बना माल पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है इसलिए मिल और पावरलूम का बनाया हुआ माल भेजते हैं परन्तु उस पर मोहर हैंडलूम की लगाते हैं? इस प्रकार की घटनायें हुई हैं तो क्या आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे और अधिक मात्रा में हैंडलूम और पावरलूम का कपड़ा बाहर भेजा जा सके और वहां लोकप्रिय हो इसका प्रयास करेंगे।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं कि इस देश से बहुत बड़ी मात्रा में नाना प्रकार की सुन्दर चिड़ियां बाहर भेजी जाती हैं विदेशों में लेकिन उनमें से बहुतेरी रास्ते में ही मर जाती हैं क्योंकि उनके खाने पीने की ठीक व्यवस्था नहीं होती है तो क्या इस ओर भी आप कोई क़दम उठायेंगे ? जिन लोगों को अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियां चाहिएं वहां पर वह चिड़ियां हवा/पानी सहन नहीं कर पाती हैं और वहां जाकर मर जाती हैं। ऐसी भी घटनायें हुई हैं कि लाखों की संख्या में चिड़ियां भेजी गईं जिनमें आधी रास्ते में ही मर गईं और वहां पर उन लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, माल छुड़ाया नहीं। इस तरह से वहां पर चिड़ियां मर गईं, उनका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह हाउस चले तब तक उस तरफ के लोग भी यहां पर बैठा करें, बाहर न जाया करें।

श्री मोहन धारिया : सभापति जी, जो सवाल उठाया गया है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। यह सवाल पहले था कि दो लाख से ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वही मम्बर रहें लेकिन कम से कम एक्सपोर्ट भी जो करते हैं वह भी मम्बर रह सकते हैं, ऐसा इन्तजाम हमने कर लिया है। जिस वक्त आपने पहले बताया था उसी वक्त हमने उनको लिख दिया था और यह दुरुस्ती उन्होंने अपने संविधान में कर दी है।

दूसरी बात आपने कही कि हैंडलूम के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और इस के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं तो हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कदम

[श्री मोहन धारिया]

उठाए गये हैं उनकी जानकारी पूरे सदन को है। एक्सपोर्ट के लिए भी हमने पूरा जोर लगाया है। अभी दो दिन पहले यहां पर आस्ट्रेलिया के मिनिस्टर साहब से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि हमारे जो हैंडलूम के प्रोडक्टस हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मैंने उनको बताया कि यह काम लेबर ओरिएन्टड है और मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि यहां से जाने के बाद वे तुरन्त इस पर सोचेंगे। मैं समझता हूं इसको प्रोटेक्शन देना बड़ा जरूरी है। इसलिए जहां जहां भी हम जो कुछ कर सकते हैं वह जरूर करेंगे।

हमारे एक भाई साहब ने कहा कि जब-तक इंक्वायरी चालू है तब तक उनकी तरफ से एक्सपोर्ट नहीं होने देना चाहिए बल्कि गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से उसको करना चाहिए। इस इंक्वायरी के लिए हमने आफिस को बोल दिया है कि अलग ठीक ढंग से इसको होना चाहिए। अभी जो हमारा एक्सपोर्ट चलता है, उसका जो कमिटमेंट है उसपर कोई पूरा असर नहीं होना चाहिए इसको ख्याल में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती और जिनके खिलाफ चार्जेज हैं, उनको तब तक मौका नहीं मिलना चाहिए—यह जो आपकी भावना है उसकी मैं कद्र करता हूं।

आपने पूछा है कि इसमें कितना एक्सपोर्ट होता है तो लगभग 6 सौ करोड़ का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और गार्मेंटस को मिला कर होता है और इसको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

जो चिड़ियों की बात कही गई तो इसका एक्सपोर्ट केयरफुली होना चाहिए। ऐसा न हो कि वह बीच में ही समाप्त हो जायें। इसके लिए हम जरुर ख्याल रखेंगे।

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned till tomorrow.

20.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 29, 1978/Bhadra 7, 1900 (Saka).

GMGIPND—L—2586 LS—880.